समय, 2:00 बजे
अपरान्ह

अध्ययन मंडल बैठक - योगविज्ञान

आज दिनांक 11/07/17 को योगविज्ञान विषय के अध्ययन मंडल की बैठक महामाया परीक्षा एवं मूल्यांकन भवन के कक्ष क्रमांक R-4 में आयोजित की गई जिसमें निम्नानुसार उपस्थिती रही।

हस्ताक्षर

1. डॉ. एल. रूपेन्द्र राव
   सहा. प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष
   योग विज्ञान विभाग — [signature] 11/07/17

2. प्रो. मीता झा — सदस्य
   प्राध्यापक (मनोविज्ञान)
   पं. रविशंकर शुक्ल वि. वि.

3. श्री रेशम प्रधान
   सहा. प्राध्यापक (कम्प्यूटर साइंस) सदस्य — [signature] 11/07/17
   पं. सुंदरलाल शर्मा (मु) वि. वि.

4. डॉ. लक्ष्मण प्रसाद मिश्रा (विशेष आमंत्रित सदस्य) — [signature]

प्रस्ताव :- 1. वि. वि. संचालित पाठ्यक्रम बी.ए. (योगविज्ञान) की (SLM) पाठ्य सामग्री का अनुमोदन।

2. पी. जी. डिप्लोमा इन योगिक साइंस की पाठ्यसामग्री (SLM) का अनुमोदन।

3. पी. जी. डिप्लोमा इन यौगिक साइंस के (PPR) का अनुमोदन।

Dr. Anita Singh
Incharge NAAC Criteria-I
PSSOU, SG Bilaspur

निर्णय :- 1. वि. वि. द्वारा संचालित पाठ्यक्रम (बी.ए. योगविज्ञान की (SLM) पाठ्यसामग्री का अनुमोदन किया गया।

2. पी.जी. डिप्लोमा इन यौगिक साइंस की पाठ्य (SLM) का अनुमोदन किया गया।

3. पी.जी. डिप्लोमा इन योग साइंस के (PPR) का अनुमोदन किया गया।

4. सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यौगिक साइंस नाम के स्थान पर योगविज्ञान (हिंदी) में योग साइंस (अंग्रेजी) में किया जाय तथा अध्यादेश क्रमांक में संशोधन प्रस्तावित किया गया।

11/09/17

11/9/17

11.09.17

Dr. Anita Singh
Incharge NAAC Criteria-I
PSSOU, CG Bilaspur

विषय:- पी. जी. डिप्लोमा इन यौगिक साइन्स

विश्वविद्यालय में पाठ्य सामग्री एवं पाठ्यक्रम में विषयों (पेपरों) के निर्धारण हेतु आज दिनांक 30/12/15 को आयोजित बैठक में विषय विशेषज्ञ उपस्थित रहे सदस्यों के नाम निम्नानुसार है।

1.) प्रो. भगवंत सिंह सदस्य
विभागाध्यक्ष
स्वामी विवेकानंद स्नातकोत्तर तुलनात्मक
धर्म, दर्शन एवं योग अध्ययनशाला
पं रविशंकर वि. वि. रायपुर (छ.ग.)

2) डॉ. बी. के. वर्मा सदस्य
सेवानिवृत्त प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय

3) डॉ. ओमनारायण तिवारी
कार्यक्रम समन्वयक सदस्य
पं सुंदरलाल शर्मा (मुक्त)
विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर

Dr. Anita Singh
Incharge NAAC Criteria-I
PSSOU, CG Bilaspur

4) डॉ. एम. रूपेन्द्र राव
कार्यक्रम समन्वयक

निर्णय : पाठ्यक्रम का निर्धारण किया गया इसमें पाठ्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा प्रथम भाग में अंकित है।

Seen & approved

20/.16

Dr. Anita Singh
Incharge NAAC Criteria-I
PSSOU, CG Bilaspur

पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(छत्तीसगढ़ शासन के अधिनियम कमांक 26 सन् 2004 द्वारा स्थापित)

कार्यवाही विवरण

विद्या परिषद् की 24 वीं (आपात) बैठक
दिनांक 12/09/2017, दिन मंगलवार
समय : 12:00 बजे दोपहर
स्थान – सिरपुर प्रशासनिक भवन, बिलासपुर

विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की 24 वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ, बिलासपुर की विद्यापरिषद् की 24 वीं (आपात) बैठक माननीय कुलपति की अध्यक्षता में दिनांक 12/09/2017 को दोपहर 12:00 बजे विश्वविद्यालय मुख्यालय बिलासपुर में आयोजित हुई। बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रही –

1. **डॉ. बंश गोपाल सिंह** – अध्यक्ष
   कुलपति
   पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
   बिलासपुर

2. **डॉ. बी.एल. गोयल** – सदस्य
   क्षेत्रीय निदेशक
   पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
   छत्तीसगढ, बिलासपुर

3. **प्रो तीर्थेश्वर सिंह** – सदस्य
   आचार्य एवं अध्यक्ष,
   अधिष्ठाता मानविकी, भाषाशास्त्र एवं जनजातीय अध्ययन
   इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकण्टक,
   जिला– अनूपपुर (म0प्र0)

4. **डॉ. बी. डी. मिश्रा** – सदस्य
   सह आचार्य एवं विभागाध्यक्ष
   प्रबंध अध्ययन विभाग
   गुरू घासीदास विश्वविद्यालय
   बिलासपुर (छ.ग.)

5. **डॉ. (श्रीमती) बीना सिह** – सदस्य
   सहायक प्राध्यापक (शिक्षा विभाग)
   पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
   छत्तीसगढ, बिलासपुर
   (माननीय कुलपति जी द्वारा नामांकित वरिष्ठ सहायक प्राध्यापक)

6. **डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति** – सदस्य
   सहायक प्राध्यापक (हिन्दी विभाग)
   पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
   छत्तीसगढ, बिलासपुर
   (माननीय कुलपति जी द्वारा अध्यक्ष, अध्ययन मंडल के रूप में नामांकित)

7. **डॉ. प्रकृति जेम्स** — सदस्य
सहायक प्राध्यापक (शिक्षा विभाग)
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ, बिलासपुर
(माननीय कुलपति जी द्वारा अध्यक्ष, अध्ययन मंडल के रूप में नामांकित)

8. **डॉ. प्रीति रानी मिश्रा** — सदस्य
सहायक प्राध्यापक
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ, बिलासपुर
(माननीय कुलपति जी द्वारा अध्यक्ष, अध्ययन मंडल के रूप में नामांकित)

9. **डॉ. राज कुमार सचदेव** — सचिव
कुलसचिव
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ, बिलासपुर

<u>निम्न सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके –</u>

1. **आयुक्त** — सदस्य
उच्च शिक्षा संचालनालय
नया रायपुर (छ.ग.)

2. **प्रो. एस. के. जाधव** — सदस्य
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (बायोटेक्नालाजी)
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.)

3. **श्री शंशाक शर्मा** — सदस्य
संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी
रायपुर (छ.ग.)

4. **डॉ. (श्रीमती) विभा जोशी** — सदस्य
आचार्य
स्कूल ऑफ एजुकेशन
इंदिरा गाधी राष्टीय मुक्त विश्वविद्यालय,
नई दिल्ली
(माननीय कुलपति जी इग्नू द्वारा नामांकित)

माननीय कुलपति जी के द्वारा उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया तत्पश्चात् कुलसचिव के द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्न प्रस्ताव विचार हेतु रखे गये –

प्रस्ताव कं 1 विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की 23 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन एवम् पालन प्रतिवेदन पर विचार।

निर्णय – विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् द्वारा सर्वसम्मति से कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करते हुये पालन प्रतिवेदन पर संतोष व्यक्त किया गया।

प्रस्ताव क्रं. 2 अकादमिक कैलेण्डर वर्ष 2018–19 के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय – विद्यापरिषद् के द्वारा संशोधन के साथ अकादमिक कैलेण्डर वर्ष 2018–2019 का अनुमोदन किया गया। संशोधित प्रति संलग्न।

प्रस्ताव क्रं. 3 विश्वविद्यालय अध्यादेश कमांक 02 (Doctor of Philosophy) में संशोधन पर विचार।

निर्णय – विद्यापरिषद् के द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव क्रं. 4 एक अकादमिक वर्ष में, एक छात्र को उपाधि/पत्रोपाधि दिये जाने पर विचार।

निर्णय – विद्या परिषद् के द्वारा निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में कोई भी विद्यार्थी रेगुलर मोड या डिस्टेंस मोड से एक डिग्री या एक डिप्लोमा या दो डिप्लोमा एकसाथ कर सकता है, परन्तु दो डिग्री एक साथ करने के लिये मना किया गया।

प्रस्ताव क्रं. 5 विश्वविद्यालय अध्यादेश कमांक 14 एवं 15 में संशोधन पर विचार।

निर्णय – विद्या परिषद् द्वारा अध्यादेश कमांक 14 एवं 15 में संशोधन का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा यह भी कि दोनो अध्यादेशों में कंडिका 8 एवं 9 को विस्थापित करते हुये 'as per decision of academic council from time to time' किया गया।

प्रस्ताव क्रं. 6 विश्वविद्यालय अध्यादेश कमांक 26 में संशोधन पर विचार।

निर्णय – विद्या परिषद् के द्वारा सर्वसम्मति से अध्यादेश कमांक 26 में संशोधन का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। यह भी कि कोर्स का शीर्षक 'Master of Arts (Education)' के स्थान पर 'Master of Arts in Education' किया गया।

प्रस्ताव क्रं. 7 विभिन्न विषयों के अध्ययन मंडलों के कार्यवाही–विवरण के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय – विद्या परिषद् के द्वारा सर्वसम्मति से विभिन्न अध्ययन मंडलों के कार्यवाही–विवरण का अनुमोदन एवम् संशोधन निम्नानुसार किया गया –

(1) विद्या परिषद् के द्वारा समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास, अंग्रेजी, शिक्षा, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, ग्रंथालय विज्ञान, भौतिक शास्त्र, जुलाजी, गणित, हिन्दी, संस्कृत, रसायन विज्ञान, बॉटनी एवम् कम्प्यूटर सांइस विषय के अध्ययन मंडल की कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

(2) प्रबंधन विषय के अध्ययन मंडल की कार्यवाही विवरण में विभिन्न प्रस्तावों का अनुमोदन करते Bachelor of Business Administration (BBA) हेतु अध्यादेश क्रमांक 49 का अनुमोदन किया गया। यह भी कि दिनांक 04/09/2017 की बैठक में सुझाव कमांक 04 में Structure of Examination में परिवर्तन को अमान्य किया गया।

(3) वाणिज्य विषय के अध्ययन मंडल की कार्यवाही विवरण में सभी प्रस्तावों का अनुमोदन करते हुये Master of Commerce (M.Com.) हेतु अध्यादेश क्रमांक 50 का अनुमोदन किया गया।

(4) विधि विषय के अध्ययन मंडल की कार्यवाही विवरण में सभी प्रस्तावों का अनुमोदन करते हुये L.L.M. संबंधी अध्यादेश क्रमांक 34 में संशोधन पारित किया गया।

(5) योग विज्ञान विषय के अध्ययन मंडल की कार्यवाही विवरण में सभी प्रस्तावों का सर्वसम्मति से अनुमोदन करते हुये अध्यादेश कमांक 22 में 'Under the department of Indian Philosophy, Jyotish and Yogic Science' के स्थान पर 'Under the department of Psychology' करना मान्य किया गया तथा अध्यादेश के बिन्दु कमांक 4, 6 एवम् 7 में वर्णित विवरण के स्थान पर 'As per decision of the Board of Studies' मान्य किया गया। साथ ही बिन्दु कमांक 11 'Pass Percentage and Division' के स्थान पर 'Pass Grade' मान्य किया गया।

बैठक के अंत में अध्यक्ष के प्रति आभार प्रकट करते हुये बैठक समाप्त की गई।

(राज कुमार सचदेव)
कुलसचिव / सचिव

12-9-17
(बंश गोपाल सिंह)
कुलपति / अध्यक्ष

पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(छत्तीसगढ़ शासन के अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2004 द्वारा स्थापित)

कार्यवाही–विवरण

कार्य परिषद् की 65 वीं (आपात) बैठक
दिनांक 15/09/2017, दिन शुक्रवार
समय : 12:00 बजे पूर्वान्ह
स्थान – सिरपुर प्रशासनिक भवन, बिलासपुर

विश्वविद्यालय कार्य परिषद् की 65 वीं बैठक का कार्यवाही–विवरण

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के कार्य परिषद् की 65 वीं (आपात) बैठक माननीय कुलपति की अध्यक्षता में दिनांक 15/09/2017, दिन शुक्रवार, समय 12:00 बजे पूर्वान्ह विश्वविद्यालय मुख्यालय के "सिरपुर प्रशासनिक भवन" में आयोजित हुई। बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रही –

1. **डॉ. बंश गोपाल सिंह** – अध्यक्ष
   कुलपति
   पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
   बिलासपुर

2. **प्रो. देबाल कुमार सिंहरॉय** – सदस्य
   आचार्य
   समाजशास्त्र अध्ययन विभाग
   इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
   (कुलपति, इग्नू के द्वारा मनोनीत)

3. **श्री एस.के. चक्रवर्ती** – सदस्य
   संयुक्त सचिव
   छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग
   रायपुर (छ.ग.)
   (सचिव, छ.ग.शासन, वित्त विभाग के द्वारा नामांकित)

4. **डॉ. एस. आर. पटेल** – सदस्य
   पूर्व अधिष्ठाता
   ठाकुर छेदीलाल बेरिस्टर कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र
   बिलासपुर (छ.ग.)
   (माननीय कुलाधिपति के द्वारा नामांकित सदस्य)

5. **श्री ओ. पी. सिंघानिया** – सदस्य
   62/6, नेहरू नगर, ईस्ट
   अग्रसेन मार्ग, भिलाई, जिला–दुर्ग (छ.ग.)
   (माननीय कुलाधिपति के द्वारा नामांकित सदस्य)

6. **डॉ. (श्रीमती) बीना सिंह** – सदस्य
   विभागाध्यक्ष एवं सहायक प्राध्यापक (शिक्षा विभाग)
   पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
   (कुलपति जी द्वारा विश्वविद्यालय शैक्षणिक संकाय से मनोनीत)

7. **डॉ. राजकुमार सचदेव** – सचिव
   कुलसचिव

15.9.17

15.9

<u>निम्न सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके –</u>

1. **श्री राजशरण भगत** – सदस्य
उपाध्यक्ष
सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण
नया रायपुर (छ.ग.)

2. **श्री भोजराज नाग** – सदस्य
उपाध्यक्ष
बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण
नया रायपुर (छ.ग.)

3. **सचिव** – सदस्य
छ.ग. शासन
खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग
नया रायपुर (छ.ग.)

4. **डॉ. डी. एन. वर्मा** – सदस्य
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग
नया रायपुर (छ.ग.)
(सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा नामांकित)

5. **श्री एस. एल. नायक** – सदस्य
संयुक्त सचिव
छ.ग.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
नया रायपुर (छ.ग.)
(सचिव, छ.ग.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा नामांकित)

6. **डॉ. एस. के. जाधव** – सदस्य
प्रोफेसर, जैव प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
रायपुर (छ.ग.)
(माननीय कुलाधिपति के द्वारा नामांकित सदस्य)

कार्य परिषद् की बैठक के प्रारंभ में माननीय कुलपति जी के द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों स्वागत किया गया। तत्पश्चात् प्रस्तुत प्रस्तावों पर निम्नानुसार निर्णय लिये गये –

प्रस्ताव कं 1 लोक निर्माण विभाग को निर्माण कार्यो हेतु राशि स्वीकृत करने पर विचार।

निर्णय – कार्यपरिषद् के द्वारा द्वितीय चरण में हॉस्टल, आवासीय भवन टाइप 1, 2, 3 एवम् 4 तथा मुख्य गेट के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी तथा यह निर्णय

Rws 15.9.17   15-9-17

लिया गया कि टेन्डर हो जाने के पश्चात् कार्यादेश के समय किश्त जारी किया जाये।

प्रस्ताव कं 2 विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों को काउंसलिग व्यय की स्वीकृति पर विचार।

निर्णय – कार्यपरिषद् के द्वारा निर्णय लिया गया कि संस्कृत, अंग्रेजी एवं गणित विषय में काउंसलिग हेतु पूर्व से स्थापित अध्ययन केन्द्रों पर काउंसलिग की व्यवस्था की जाये तथा प्रति सत्र 5 कक्षाएं सुनिश्चित किया जाय।

प्रस्ताव कं 3 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रेगुलेशन, 2017 के अनुसार परीक्षा केन्द्रों में सीसीटीवी लगाये जाने पर विचार।

निर्णय – कार्यपरिषद् के द्वारा निर्णय लिया गया कि परीक्षा केन्द्रों से किराये पर विडियोग्राफी हेतु चर्चा की जाय तथा व्यय का अनुमान कर व्यवस्था की जाये।

प्रस्ताव कं 4 विद्या परिषद् की 24 वीं बैठक के कार्यवाही–विवरण के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय – विद्या परिषद् के कार्यवाही विवरण पर निम्नानुसार अनुमोदन किया गया –

प्रस्ताव क्रं.	प्रस्ताव पर लिया गया निर्णय
1	स्वीकार किया गया।
2	जनवरी–जून चक्र में सत्रीय कार्य हेतु 16 से 31 अगस्त तथा सत्रांत परीक्षा हेतु 1 दिसम्बर से एवम् परीक्षा परिणाम हेतु 28 फरवरी, 2019 मान्य किया गया।
3	स्वीकार किया गया।
4	इस विश्वविद्यालय या इसके साथ अन्य विश्वविद्यालय से एक साथ एक डिग्री एवम् एक डिप्लोमा मान्य होगा परन्तु दो डिग्री एक साथ मान्य नहीं होगा।
5	स्वीकार किया गया।
6	स्वीकार किया गया।
7	स्वीकार किया गया।

15.9.17

15.9.17

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से रखे गये प्रस्ताव –

प्रस्ताव कं 5 विश्वविद्यालय में कार्यरत नियमित अधिकारियों/कर्मचारियों के आश्रितों को इस विश्वविद्यालय के संचालित पाठ्यक्रमों में अध्ययन हेतु निर्धारित शुल्क में छूट दिये जाने पर विचार।

निर्णय – कार्यपरिषद् के द्वारा सभी कर्मचारियों हेतु उनके स्वयं, पत्नी, पुत्र–पुत्रियों (दो तक) हेतु पाठ्यक्रम शुल्क का 50 प्रतिशत छूट मान्य किया गया। परन्तु यह बी.एड. पाठयक्रम के लिये मान्य नहीं होगा।

बैठक के अंत में अध्यक्ष के प्रति आभार व्यक्त करते हुये बैठक समाप्त की गई।

15.9.17
(राजकुमार सचदेव)
कुलसचिव/सचिव

15.9.17
(बंश गोपाल सिंह)
कुलपति/अध्यक्ष